



# दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)



## सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2023

पीएलजी/एलपी/0001/2023/एन/सीएलयू - दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-क के अंतर्गत मुख्य योजना-2021/जोन-एन की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतददवारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सार्वजनिक सूचना की तिथि से तीस (30) दिन की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में अथवा ई-मेल द्वारा [mpd2021.public@dda.org.in](mailto:mpd2021.public@dda.org.in) पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम और पते के अतिरिक्त टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई-मेल आई डी भी दें, जो पठनीय हो।

### प्रस्तावित संशोधन

अवस्थिति	क्षेत्रफल	दिल्ली मुख्य योजना-2021 / जोन-एन की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग	भूमि उपयोग जिसमें परिवर्तित किया जाना है	सीमाएँ
1	2	3	4	5
गाँव औचंदी जोन-एन	39.603 एकड़ (लगभग 16.027 हेक्टेयर)	कृषि/हरित पट्टी (ए-2)	उपयोगिता (यू-3 विद्युत सब-स्टेशन)	उत्तर : कृषि भूमि दक्षिण : कृषि भूमि पूर्व : नहर पश्चिम : राष्ट्रीय, राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा

प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ/नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ/नक्शा निम्नलिखित लिंक अर्थात् <https://dda.gov.in/mpd-2021-public-notice-2023> पर भी उपलब्ध है।

हस्ता./-

[ई-एफ.सं. पीएलजी/एलपी/0001/2023/एन/सीएलयू]

डी.सरकार, आयुक्त एवं सचिव

हमें यहाँ फॉलो करें : [f ddaofficial](https://www.facebook.com/ddaofficial) [🐦 official\\_dda](https://twitter.com/official_dda) [@ official\\_dda](https://www.instagram.com/official_dda) [📺 Official\\_dda](https://www.youtube.com/channel/UC...)

“कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in) देखें और डायल करें टोल फ्री नं.: 1800-110332”



# दिल्ली विकास प्राधिकरण

## (मुख्य योजना अनुभाग)



### सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2023

पीएलजी/एलपी/0001/2023/एन/सीएलयू - दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-क के अंतर्गत मुख्य योजना-2021/जोन-एन की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सार्वजनिक सूचना की तिथि से तीस (30) दिन की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में अथवा ई-मेल द्वारा [mpd2021.public@dda.org.in](mailto:mpd2021.public@dda.org.in) पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम और पते के अतिरिक्त टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई-मेल आई डी भी दें, जो पठनीय हो।

### प्रस्तावित संशोधन

अवस्थिति	क्षेत्रफल	दिल्ली मुख्य योजना-2021 / जोन-एन की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग	भूमि उपयोग जिसमें परिवर्तित किया जाना है	सीमाएँ
1	2	3	4	5
गाँव औंचंदी जोन-एन	39.603 एकड़ (लगभग 16.027 हेक्टेयर)	कृषि/हरित पट्टी (ए-2)	उपयोगिता (यू-3 विद्युत सब-स्टेशन)	उत्तर : कृषि भूमि दक्षिण : कृषि भूमि पूर्व : नहर पश्चिम : राष्ट्रीय, राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा

प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ/नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ/नक्शा निम्नलिखित लिंक अर्थात् <https://dda.gov.in/mpd-2021-public-notice-2023> पर भी उपलब्ध है।

हस्ता./-

[ई-एफ.सं. पीएलजी/एलपी/0001/2023/एन/सीएलयू]

डी.सरकार, आयुक्त एवं सचिव

हमें यहाँ फॉलो करें: [f ddaofficial](https://www.facebook.com/ddaofficial) [official\\_dda](https://twitter.com/official_dda) [official\\_dda](https://www.instagram.com/official_dda) [Official\\_dda](https://www.youtube.com/channel/UC...)

“कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in) देखें और डायल करें टोल फ्री नं.: 1800-110332”